

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 06 सितम्बर, 2016

विषय- निजी संस्थान आदेश कॉलेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0 164, 168 ग्रा0 व पो0-नारायनपुर, बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान आदेश कॉलेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0 164, 168 ग्रा0 व पो0-नारायनपुर, बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार संदर्भ सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थीयों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।


भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 1308 (1)/ 15-11-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पीलीभीत।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, आदेश कॉलेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0 164, 168 ग्रा0 व पो0-नारायनपुर, बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत।
- 6- गार्ड फाइल।

अम्बा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।